L. A. BILL No. XXXIII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३३, सन् २०२१।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १८८८ का ३। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; और इसलिये, मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१, ३० नवंबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी १६४३—१ (५०–१२-२०२१)

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहातरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह ३० नवंबर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १८८८ का ३ की धारा ५ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की, धारा ५ की उप-धारा (१)के खण्ड (क) में, "दो सौ सत्ताईस"शब्दों के स्थान में, "दो सौ छत्तीस" शब्द रखे जायेंगे। सन् १८८८ का ३।

सन् २०२१ का महा. अध्या क्र. १३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. १३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुऐ भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीत कृत की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ५ **बृहन्मुंबई** नगर निगम में प्रभाग निर्वाचन में सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या का उपबंध करती है। सीधे निर्वाचित पार्षदों की विद्यमान संख्या सन् २००१ के जनसंख्या के आँकड़ों पर आधारित है। सन् २०११ की जनगणना के पश्चात्, सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या में बदलाव नहीं किया गया था।

२. वर्ष २००१ से वर्ष २०११ के दशक में वर्ष २०११ की जनगणना के जनसंख्या के ड़ाटा के अनुसार, **बृहन्मुंबई** नगर निगम की सीमा में, की जनसंख्या में ३.८७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहरी जनसंख्या में होनेवाली वृद्धि और तेजी से होनेवाले नागरिकरण को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित करना है कि, नगर निगमों में बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना है, **बृहन्मुंबई** के नगर निगम में, सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या बढ़ाना इष्टकर समझा गया है। इसलिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ५ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

३. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्र. १३) ३० नवंबर २०२१ को प्रख्यापित किया गया था।

मुंबई,
दिनांकित १७ दिसंबर, २०२१।

एकनाथ शिंदे,
शहरी विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १७ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई